

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम : तहसीलदार रावतभाटा

रावतभाटा

किस्म मुकदमा

वाद

नं०

११/१७

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जाय
१८ ^{०३} / _{२०२५}	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित तहसील कार्यालय से कमिश्नर रिपोर्ट अप्राप्त। तहसील कार्यालय से वांछित रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली वास्ते वइन्तजार कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक ०३/०५/२०२५ को पेश हो।</p>	
५ _३ / _{२०२५}	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित तहसील कार्यालय से वांछित रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली वास्ते वइन्तजार कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक ०३/०५/२०२५ को पेश की जावे।</p>	
१२ ^{०५} / _{२०२५}	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आताप लगवाई गई जातवृद्ध वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में वादी की ओर से पेशवी हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली किसल कुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चि. नं. १७)

